यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

ीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
व वाद संख्या : 111/2007
MS NO. : 2007/00080

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

. सुखाराम पुत्र पांचाराम के का0मु0
1/1. सोहनीदेवी बेवा सुखाराम
1/2. घनश्याम पुत्र सुखाराम
1/3. ऊगमा पुत्री सुखाराम
1/4. रामप्यारी पुत्री सुखाराम
2. घेवरराम पुत्र पांचाराम के का0मु0
2/1. कमला बेवा घेवरराम
2/2. प्रेमचन्द पुत्र घेवरराम
2/3. सुशीला पुत्री घेवरराम
2/4. सपना पुत्री घेवरराम
का0मु0 संख्या 4 सपना नाबालिग जरिए कुदरती वलिया उसकी माता कमला जाति रेगर निवासी जैतारण जिला पाली राज0।

1. सायरी उर्फ बिदामी पत्नी बचनाराम
2. भेराराम पुत्र बचनाराम
3. मांगीलाल पुत्र पांचाराम
4. गेरकी पुत्री बालू
5. देवाराम पुत्र बालू
6. अनोपदेवी पुत्री बालू
7. माडी देवी पुत्री बालू
8. शान्तिदेवी पुत्री बालू जाति रेगर निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
तारीख रजू:.11.06.2007

पस्थित:-

1. श्री चुतराराम भाटी,जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुंरा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 08/03/2022**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौज जैतारण पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि जमीन खसरा संख्या 41/6 रकबा 43-10 बीघा किस्म चाही सोयम,ख0सं0 42 रकबा 32-09 बीघा किस्म चाही सोयम, ख0सं0 43 रकबा 00-08 बीघा किस्म गैर मुमकिन,ख0सं0 44 रकबा 07-03 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा संख्या 4 रकबा 83-10 बीघा आई हुई है। उपरोक्त भूमि बालू पुत्र गणेश, बचना पुत्र पांचा, बालू पुत्र पन्ना, जवान पुत्र पन्ना, जाति जटिया रेगर निवासी जैतारण ने दिनांक 07.07.1956 को रतनलाल पुत्र धीमा जाति सीरवी निवासी पातुस तहसील जैतारण से 1000/- अक्षरे एक हजार में खरीद कर रजिस्ट्री करवाई यानि उक्त भूमि के चारो हिस्सेदारान् के ... पन्ना के 1/4 हिस्से की भूमि उनके का0मु0 सोहनलाल,सुगनचंद ... हिस्सा अलग करवा कर अलग खाता करवा लिया इसलिए उनका इस दावे में पक्षकार नही बनाया गया है। ... पुत्र गणेश फौत होने से उनकी पत्नी गंगा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ, गंगा फौत होने पर उसकी पुत्री गैरकी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। बालू पुत्र पन्ना के फौत होने से उनके का0मु0 प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत वंशावली के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

पांचाराम के चार पुत्र थे। जिसमें सबसे बड़ा बचना था व घर का मुख्याकर्ता था
...वार होने से भूमि दिनांक 07.07.1956 को खरीद की उस वक्त 1/4 हिस्से में
... ने अपना बड़ा पुत्र बचना अकेले के नाम रजिस्ट्री में नाम दर्ज करवाया था। जबकि
पर चारो भाई का हक, हिस्स बराबर चला आ रहा है मौके पर भी अलग अलग
करते आ रहे है। बचना फौत होने से उनकी जगह राजस्व रेकर्ड में बचना की पत्नी,
...तिवादी संख्या 1,2 सायरी व भैराराम का नाम फौतेदगी म्युटेशन के जरिए दर्ज हुआ।
...क रोंग एन्ट्री (गलत) इन्द्राज है। यह है कि उक्त विवादित भूमि का मौके पर चारों
... के आपस मे बंटवाड़ा किया हुआ है तथा अलग अलग खेत बोते है तथा लगान
...भाई राज्य सरकार को अदा करते है वादी का बड़ा भाई बचना फौत होने से उनकी
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से लोगो के सिखाने से
नियत खराब हो गई है उक्त विवादित भूमि आबादी के पास होने से जमीन की
... बढने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मॉ बेटे ने वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में
...से दिनांक 10.05.2007 को मना कर दिया। और ऐलानिया कहा कि वादीगण को
भूमि में से हिस्सा नहीं दूंगी। प्रतिवादी संख्या 3 के कोई जायन्दा औलाद नही होने
...पना हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तर्क करता है बकाया
...ादीगण संख्या 4 से 8 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है इनके हिस्से बदस्तुर
... इनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 07.
...1986 को वादीगण के पक्ष में स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया कि मारे भेलापा री
...न जो मारा सुसरा जी मेरे पति के नाम से जमीन खरीद थी। उसमें मेरे देवर
...राम,घेवरराम का बंट रहेगा। दोनो भाई को अलग अलग एक ही तारीख में लिखकर
... था। जिसकी फोटो प्रति दावा के साथ पेश है उक्त लिखत से प्रतिवादी संख्या 1
...न्द है। प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखत में यह भी लिखा कि उक्त भूमि में खातेदारी में
...ाराम व घेवरराम दोनो के नामान्तरकरण साथ में करवा दुंगी जिसमें किसी प्रकार की
...जी नहीं करूगी। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अब उक्त लिखत को नहीं मानकर
...ीगण के हिस्से की जमीन इनके नाम करवाने से मना कर रही है। वादीगण निम्न
...ुतोष की प्रार्थना करते है-1. डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1,2 इस
...शय की जारी फरमाई जावे कि सरहद मौजा जैतारण के खसरा संख्या
.../6,42,43,44 कुल रकबा 83-10 बीघा के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के
...थ वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जावे यानि वादी संख्या एक सुखाराम को
.../9, वादी संख्या 2 घेवरराम को 1/9 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/9 हिस्से
... खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। 2. वादीगण के 1/9-1/9 हिस्से में प्रतिवादीगण
...ख्या 1 व 2 कोई किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करे। वादीगण अपने हिस्से माफिक
...ाश्त करे या किसी से करवावे व फसल बोने,अवेरने व काटने में कोई किसी प्रकार कि
...तिवादीगण रोक टोक नहीं करे जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। 3. खर्चा मुकदमा
...ादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। वादीगण को ... हीचा दिनांक 10.05.2007
...ो जब वादीगण के नाम खातेदारी करवाने से मना करने ... दिनांक 07.11.1986 को
...ादीगण के पक्ष में जमीन में हिस्सा देना ... कर लिखकर ... पर बमुकाम जैतारण में पैदा
...हुआ जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में है व वाद अन्दर मियाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया।
प्रतिवादी संख्या 4, 6 से 8 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

थत रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण 3 व 5 र से वाद में वर्णित कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया वादपत्र के पदसंख्या 1 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत,बेबुनियाद व ंत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के इस पद में वर्णित कृषि भूमि कुल 83-10 बीघा दीगण सुखाराम, घेवरराम, प्रतिवादी मांगीलाल, अनोपदेवी, माहीदेवी व शांतिदेवी का कृषि भूमि की खरीद से लेकर आज दिन तक कभी भी एक क्षण के लिये भी मौके ब्जा काश्त हक हिस्सा व अधिकार नही रहा है। राजस्व रेकर्ड में भी उपरोक्त का नाम न तो दर्ज रहा है। उक्त 83 बीघा 10 बिस्वा भूमि से वादीगण व प्रतिवादी मांगीलाल कोई लेना देना नही है। केवल दावा करने की बदयान्ति से गलत तथ्य लिखे गये है। सही है कि खसरा संख्या 41/6,42,43 व 44 की कुल 83 बीघा 10 बिस्वा जमीन त्र गणेश, बचना पुत्र पांचा, बालू पुत्र पन्ना, व जवान पुत्र पन्ना जातियान जटिया निवासी जैतारण ने दिनांक 07.07.1956 को रतनलाल सिरवी निवासी पातूस से द करके बेचान दस्तावेज पंजीयन कराया था। तब से लेकर आज दिन तक मौके पर भूमि के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि पर अलग से बंट किये हुये हिस्से पर प्रतिवादी या 1 व 2 का शांतिपूर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण तथा वादी मांगीलाल का वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो कब्जा काश्त रहा न उन्होने फसल । उपरोक्त तथ्यों के अलावा वपादपत्र में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र पदसंख्या 2 में वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबूनियाद व मनगढंत होने से अस्वीकार है। ावली जो दी गई है वह आधी अधूरी व अपूर्ण है। स्वीर्गीय पांचाराम ने बचनाराम का ाह चण्डावल निवासी सायरी के साथ किया था तथा विवाह के पश्यात पांचाराम ने जो ाराम स्वयं घर का मुखिया व कर्ता खानदान था ने बचनाराम व उसकी पत्नी सायरी लग कर दिया । तब बचनाराम अलग रहते हुए अपना जूती बनाने का काम करने ा। दिनांक 07.07.1956 को बालू,जवान के साथ मिलकर बचनाराम ने जो कृषि भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा खरीद की थी। वह अपनी स्वअर्जित व मेहनत की कमाई से प्राप्त ाय से खरीद की थी। उक्त कृषि भूमि की खरीद में वादीगण ,प्रतिवादीगण मांगीलाल तथा चनाराम के पिता पांचाराम का न तो कोई योगदान रहा न उनको एक रूपया भी कृषि मि खरीद में वादीगण प्रतिवादी मांगीलाल तथा बचनाराम के पिता पांचाराम का न तो कोई ोगदार रहा न उनका एक रूपया भी कृषि भूमि खरीद में लगा या खर्च हुआ न उनका ोई हक हिस्सा या अधिकार रखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति व पिता स्वर्गीय चनाराम के सायरी के साथ विवाह से लगातार सात संताने उत्पन्न हुई। परन्तु एक भी ावित नही रही। बाद में सायरी का भी निधन हो गया । सायरी के निधन के पूर्व चनाराम के पिता पांचाराम का भी निधन हो गया था। उसके पश्चात बचनाराम की स्वयं की कृषि भूमि होने के कारण ही प्रतिवादीया बिदामी [illegible] बचनाराम के साथ उसकी शादी की थी। चूंकि बिदामी ने बचनाराम [illegible] उसे सायरी व बिदामी दोनो नामो से पुकारा [illegible] अपने पिता व भाईयो से अलग रहता था। अलग काम करता था। [illegible]तु परिवार में जब भी कोई पारिवारिक सामाजिक कार्य होता तो बचनाराम अपने बंट का खर्चा देता था। इसी तरह पांचाराम के जीवनकाल में काम काज पड़ने पर वादी सुखाराम, घेवरराम व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

न भी अपने बंट का खर्चा अपने पिता पांचाराम को देते थे। क्योंकि उक्त तीनो का के पांचाराम ने उन्हे भी अलग कारोबार करवा दिया था। इस प्रकार वादीगण का ना बिल्कुल ही गलत है कि बड़ा पुत्र होने से पांचाराम ने अकेले बचनाराम के नाम करा दी हो। बल्कि पांचाराम सुखाराम मांगीलाल व घेवरराम की कृषि भूमि की से कभी कोई सरोकार नही रहा न उनका कोई रूपया पैसा लगा। बचनाराम के की कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण मांगीलाल का कभी भी एक क्षण के लिए ब्जा काश्त नही रहा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में किसी भी न्ट्री के तहत् दर्ज नही हुआ है। बल्कि कृषि भूमि के वास्तविक खातेदार काश्तकार ाम के निधन के पश्चात बतौर उसके कानूनी वारीसान व उत्तराधिकारी होने राजस्व में दर्ज हुए है। जिससे वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तमाम् तथ्य गलत व बेबूनियाद होने व मनगढंत होने से अस्वीकार है। यह कहना बिल्कूल ही गलत है वादित भूमि का मौके पर चारो भाईयो का आपस में बंटवाड़ा किया हुआ है। व अलग ा खेत बोकर लगान अदा करते है । वास्तविकता ऊपर के पदो में दर्शायी जा चूकी है। गण व प्रतिवादीगण मांगीलाल का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि में कतई कोई ा काश्त नही रहा न आज दिन तक है। न इन लोगो ने एक पैसा भी राज्य सरकार लगान अदा किया है न इनकी कोई रसीद इन लोगो के पास है। यह कहना भी गलत के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 वादी का नाम होने से जमीन की कीमत बढने व लोगो के सिखाने में आये हो। वादीगण ने केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कृषि न को जबरन उन्हे बेदखल करके हड़प करने की बदयान्ति से काल्पनिक वाद कारण की ोख 10.05.2007 बता करके यह दावा किया है जबकि वादीगण के व प्रतिवादी गीलाल के पिता पांचाराम का निधन भी करीब 24-25 वर्ष पूर्व हो चूका है। तथा नाराम का निधन भी करीब 24-25 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादीगण गीलाल का वादग्रस्त कृषि भूमि में हक हिस्सा व अधिकार होता तो पांचाराम व बनाराम अपने जीवनकाल में कोई पारिवारिक प्रबन्ध व बंटवाड़ा की लिखत आवश्यक कमील करते या करवाते। वादीगण व प्रतिवादी मांगीलाल वादग्रस्त भूमि में कोई हक स्सा है ही नही तो उन्हे हिस्सा देने का प्रश्न ही नही उठता। प्रतिवादी मांगीलाल के पास कोई भूमि ही नही है तो उसके द्वारा अपना हिस्सा तर्क करने का तथ्य हास्यास्पद लगता । मौके पर के वल बालू पुत्र गणेश, बालू पुत्र पन्ना, व बचनाराम के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारीयों का ही लगातार कब्जा काश्त है। तथा आपसी समझाईस से मौके पर बंट करके काश्त कर रहे है। जो कुल भूमि के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार होकर काबिज है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबूनियाद व मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी या बिदामी ने दिनांक 07.11.1986 को या कभी भी किसी भी स्टाम्प पेपर पर यह लिखकर नही दिया कि उसकी जमीन में वादीगण का कोई बंट रहेगा। प्रतिवादी बिदामी ने अपने जीवनकाल में कभी भी कोई स्टाम्प खरीद नही किया न कोई लिखत किसी को करके दी तथा कथित दिनांक 07.11.1986 का स्टाम्प भी प्रतिवादीया ने तो खरीदा न कोई लिखत करके दी केवल गलत दावा करके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि को हथियाने व हड़प करने की बदयान्ति से वादीगण ने किसी कानूनविज्ञ से राय लेकर फर्जी तौर पर कुटरचित दस्तावेज तैयार करके प्रतिवादीया बिदामी के जाली हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कोई लिखत तैयार की भी है तो वह तथाकथित फर्जी लिखत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हितो के विरूद्ध बेअसर व प्रभाव शून्य है ऐसी फर्जी लिखत के आधार पर को न तो कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त होते है। न प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पाबन्द है। प्रतिवादी मांगीलाल व देवाराम के साथ मिलीभगत करके राजीनामा करने वादीगण को कोई अधिकार नहीं मिलते है। वादीगण का वादग्रस्त जमीन में कोई है ही नही तो उनके नाम नामान्तरणकरण करवाने का कोई प्रश्न ही नही उठता दावा किया गया है। जो कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। थित फर्जी लिखत तैयार करने वाले व उसमें सहयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अलग से सक्षम न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही अमल येगे। वादपत्र के पद संख्या पांचा का जवाब है कि इस पद में वर्णित तमाम् तथ्य व बेबूनियाद झूठे होने से अस्वीकार है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही होता केवल काल्पनिक तारीख व फर्जी लिखत से वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा करने का अधिकार नही मिल जाता। वादीगण का वाद कारण के अभाव में व स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने के कारण कानूनन चलने योग्य होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र के पद संख्या 6 का जवाब है कि नयत के इस पद में जो वाद की मालियत आँकी गई है व नाकाफी है। तथा वादीगण तथाकथित फर्जी लिखत के आधार पर दावा लाये है। वह कानूनन मान्य नही है। पि उक्त लिखत को भी उदाहरण के तौर पर देखो तो वादीगण व प्रतिवादीया के मध्य संविदा होती है और संविदा की पालना हेतु विशेष अनुतोष अधिनियम के तहत् वाद की कारिता दिवानी न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए भी इस न्यायालय को यह वाद सुनने क्षेत्राधिकार नही है। और न ही विशेष अनुतोष अधिनियम के तहत् इस न्यायालय द्वारा ई अनुतोष दिया जा सकता है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य वादपत्र के पद संख्या 7 का जवाब है कि वादीगण अनुतोष के मूल पद व उपपद, द में चाहा गया अनुतोष निर्णय व डिक्री प्राप्ति करने के अधिकारी नही है। दावा लत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का र्याप्त अवसर दिया गया। साक्ष्यवादी एवं जिरह पूर्ण की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नही करने का निवेदन किये जाने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की जाकर करण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में कोई भी प्रार्थना त्र निर्णय से शेष नही है। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. आया सरहद मौजा जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 41/6 रकबा 43-10 बीघा, खसरा नम्बर 42 रकबा 32-09 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्बर 44 रकबा 7-05 बीघा कृषि भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी होने से वादीगण उक्त भूमि में 1/9 हिस्से की खातेदारी की घोषणा की डिक्री विरूद्ध ... के प्राप्त करने के अधिकारी है ? ... जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी ... की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया है कि ग्राम जैतारण में स्थित वादग्र... आराजी खसरा संख्या 41/6 रकबा 43-10 बीघा किस्म चाही सोयम,ख0सं0 42 रकबा 32-09 बीघा किस्म चाही सोयम, ख0सं0 43 रकबा 00-08 बीघा किस्म गैर मुमकिन,ख0सं0 44 रकबा 07-03

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

रम चाही सोयम कुल खसरा संख्या 4 रकबा 83-10 बीघा दिनांक 07.07.1956 पुत्र गणेश, बचना पुत्र पांचा, बालु पुत्र पन्ना तथा जवान पुत्र पन्ना जाति जटिया वासी जैतारण द्वारा रतनलाल पुत्र पीथा निवासी पातुस तहसील जैतारण से क्रय की इमें से जवान पुत्र पन्ना के 1/4 हिस्से की भूमि उनके का.मु. ने अपना खाता करवा लिया। पांचाराम के चार पुत्र थे बचना, मांगीलाल, सुखाराम और घेवरराम है से सुखाराम व घेवरराम वादीगण है तथा मांगीलाल एवं बचना के वारिसान तिगण है। बचना, पांचा का सबसे बड़ा पुत्र था तथा घर का मुख्यकर्ता था तथा संयुक्त : होने से उक्त भूमि दिनांक 07.07.1956 को खरीद के वक्त 1/4 हिस्से में म ने अपने बड़े पुत्र बचना का अकेले का नाम दर्ज करवा दिया जबकि जमीन पर भाईयो का हक हिस्सा बराबर चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 3 मांगीलाल पुत्र पांचाराम द्वारा वादपत्र का समर्थन हुए वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण को 1/9,1/9 हिस्से का खातेदार घोषित में अनापति जाहिर की है। वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी में पीडब्लु 1 सोहनी देवी पत्नी राम का साक्ष्य शपथ पत्र, पी डब्लु 2 कमला पत्नी घेवरराम का साक्ष्य शपथ पत्र, 1 ग्राम जैतारण की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संवत 2061 से 2064, प्रदर्श 2 न नक्शा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी ग्राम जैतारण संवत 51-2064, प्रदर्श 4ए लिखत की प्रति व प्रदर्श 5ए लिखत की प्रति, प्रस्तुत किए।

साक्ष्यवादी में वादीया कमला पत्नी घेवरराम ने दौराने जिरह कथन किया यह जमीन ग्राम पातुस में आई हुई है जिसे मेरे ससुरजी ने खरीद की थी, जमीन ने रूपये में खरीदी मुझे नही पता तथा उक्त जमीन का खसरा नम्बर मुझे याद नही वादग्रस्त कृषि भूमि मेरे ससुर ने बड़े बेटे बचनाराम के नाम खरीद की, वादग्रस्त भूमि मै व मेरा परिवार कब्जा व काश्त करते है। वादीया सोहनी देवी पत्नी सुखाराम ने क्ष्यवादी में दौराने जिरह यह कथन किया कि यह जमीन आगेवा की सीरवी रतनबा से गी व मेरे ससुरजी ने खरीदी, कितने में सौदा हुआ मुझे नही पता, बचनाराम ने पनी खुद की कमाई से जमीन खरीद नही की, वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या मुझे याद ही है, वादग्रस्त भूमि पर पांचारामजी के सभी लड़को का कब्जा काश्त रहा है। प्रदर्श 1 ाम जैतारण की जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 41/6, 42,43,44 कुल रकबा 83-10 बीघा बालू पुत्र पन्ना, भेराराम पुत्र बचनिया नाबालिग की कुदरती वलि माता मु. बिदामी बेवा बचनिया, गंगा पत्नी बालु कौम जटिया सा.देह बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 2 ग्राम जैतारण की वादग्रस्त आराजी का नक्शा है। प्रदर्श 3 ग्राम जैतारण की वादग्रस्त आराजी की संवत् 2061 से 2064 में से संवत् 2061,2062,2063 की खसरा गिरदावरी है जो खातेदारान् के नाम अंकित है। प्रदर्श 4ए एवं प्रदर्श 5ए तीन रूपये 50 पैसे के स्टाम्प पेपर पर अपंजीकृत लिखत है जो सायरी उर्फ बिदामी बेवा भचनाराम रेगर सा. जैतारण जिला पाली की ओर से क्रमशः सुखाराम पुत्र पांचाजी रेगर तथा घेवरलाल पुत्र पांचाजी रेगर के [illegible] दिनांक 07.11.1986 को निष्पादित होना अंकित है।

इस प्रकार वादपत्र के अवलोकन [illegible] से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 07.07.1956 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई थी। चूंकि क्रेता पांचा का पुत्र बचना है तथा इसी के अनुरूप अन्य क्रेताओ के साथ क्रेता बचना का नाम जरिए नामान्तरण भू अभिलेख में दर्ज हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

त बचना के फौत होने पर उनके वारिसान् का नाम भू अभिलेख में दर्ज है। वादीगण कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी का हक हिस्सा किस प्रकार व किस सीमा तक निहित है? वादीगण का यह कथन ना परिवार में ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण संयुक्त परिवार की आय से केवल बचना के से भूमि क्रय की गई इसलिए अन्य भाईयो का भी वादग्रस्त आराजी में बचना के ही हक हिस्सा निहित है, स्वीकार योग्य नही है क्योकि अव्वल तो भूमि पंजीकृत पत्र से क्रेतागण के पक्ष में हस्तान्तरित हुई है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र में वादीगण ाम बतौर क्रेता अंकित नही है, दोयम यदि पंजीकृत बेचाननामा विधि विरुद्ध या र्य है तो वादीगण द्वारा इसे सर्वप्रथम सक्षम सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाना । जब तक पंजीकृत बेचाननामा विद्यमान है तब तक विक्रय पत्र में अभिलिखित गण से इतर वादीगण का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार वादग्रस्त आराजी में विद्यमान माना जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की कानूनन नही की जा सकती। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित करने में वादीगण या असफल रहे है अतः इसे वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित ा जाता है।

आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है चूंकि पूर्व विवेचित एवं र्णित विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ है साथ ही वादीगण वादग्रस्त राजी के अभिलिखित खातेदार नही है अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी में स्वयं के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने यह विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

. आया उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता व पति के पिता द्वारा ...दा है जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण प्रतिवादी के रूद्ध घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नही है? **जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की है। र्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन, वादपत्र में वादीगण की स्वीकारोक्ति था उपलब्ध भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 07.07.1956 को बालू त्र गणेश, बचना पुत्र पांचा, बालु पुत्र पन्ना तथा जवान पुत्र पन्ना जाति जटिया रेगर निवासी जैतारण द्वारा रतनलाल पुत्र घीघा निवासी पातूस तहसील जैतारण से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई थी। विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जा चुका है अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में भली भांति साबित होता है अतः इसे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में तथा वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया वादीगण उक्त भूमि से आउट ऑफ पजेशन है? **जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है। चूंकि यह विवाद्यक वादग्रस्त आराजी के मौके पर कब्जे ... सब... है। हांलाकि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ... वादीगण का नाम दर्ज नही है लेकिन प्रकरण में उभयपक्षकारान् द्वारा इस बाबत् कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादग्रस्त आराजी पूर्णतः या भागतः वर्तमान में किसके उपयोग एवं उपभोग में है। अतः उपलब्ध दस्तावेजात् से इस निष्कर्ष तक नही पहुँचा जा सकता कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादग्रस्त आराजी से आउट ऑफ पजेशन है या नही। अतः यह विवाद्यक भली भांति ...ी होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

...या वादीगण **के पक्ष में लिखत फर्जी व कूटरचित है तथा वादी का वाद म्याद बाहर ... खारिज योग्य है?** **जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की है। चूंकि ... में वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत लिखत प्रदर्श 4ए व 5ए अपंजीकृत है तथा ... दस्तावेज सम्पति अन्तरण के रूप में बतौर साक्ष्य ग्राह्य नही माना जा सकता, ... प्रश्नगत दस्तावेज फर्जी व कूटरचित है या नही इस संबंध में टिप्पणी विवेचन, ...ण एवं निर्णयन का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अतः इस ... में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना विधिसंगत एवं उचित नही होगा। साथ ही हस्तगत वादपत्र वादी द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया गया है ...के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है लिहाजा हस्तगत वादपत्र परिसीमा से बाधित ...ना जा सकता। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से प्रतिवादीगण के ...द्ध निर्णित किया जाता है।

...दादरसी

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन से समस्त विवाद्यक निर्णित किए जा चुके ... दावे का हर्जा व खर्चा संबंधित पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। हम अन्य कोई ...तोष प्रदान करना या अन्य कोई टिप्पणी करना शेष एवं आवश्यक नही मानते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा–88, 92ए ...जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होनें से ...ारिज/अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का ...ग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये ...ाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला–पाली
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 08/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वाद संख्या : 111/2007

No. : 2007/00080

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

सुखाराम पुत्र पांचाराम के का0मु0
1/1. सोहनीदेवी बेवा सुखाराम
1/2. घनश्याम पुत्र सुखाराम
1/3. ऊगमा पुत्री सुखाराम
1/4. रामप्यारी पुत्री सुखाराम
. घेवरराम पुत्र पांचाराम के का0मु0
2/1. कमला बेवा घेवरराम
2/2. प्रेमचन्द पुत्र घेवरराम
2/3. सुशीला पुत्री घेवरराम
2/4. सपना पुत्री घेवरराम
का0मु0 संख्या 4 सपना नाबालिग जरिए कुदरती वलिया उसकी माता कमला जाति रेगर निवासी जैतारण जिला पाली राज0।

1. सायरी उर्फ बिदामी पत्नी बचनाराम
2. भेराराम पुत्र बचनाराम
3. मांगीलाल पुत्र पांचाराम
4. गेरकी पुत्री बालू
5. देवाराम पुत्र बालू
6. अनोपदेवी पुत्री बालू
7. माडी देवी पुत्री बालू
8. शान्तिदेवी पुत्री बालू जाति रेगर निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

स्व वाद बाबत घोषणा
र्गत धारा 88, 92ए,
स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :- रा0वा0 स0: 111/2007

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री राराम भाटी व जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व महेन्द कुमार गुंरा धिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त वेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 55 बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली सी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **08/03/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07-00
स्टाम्प वकालतनामा	05-00
स्टाम्प वजह सबूत	03-00
महनताना वकील	/
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	11-00
बाबत इजराय हुक्मनामा	
मिजानः-	25-00

मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	[illegible]-00
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा	
मुतफर्रिक	
मिजानः-	02-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested